वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग–4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी की जाए)

आवेदनकर्ता, परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक एन.एच–149 B, कोरबा द्वारा कोरबा वन मंडल अंतर्गत 2.820 हे. एवं जांजगीर जांपा वन मंडल अंतर्गत 1.673 हे. वन भूमि चांपा–कोरबा–छुरी–कटघोरा सेक्शन के लिए वन भूमि व्यपवर्तन हेतु 4.493 हे. राजस्व वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत प्रस्ताव में दर्शाये अनुसार मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त के अभिमत से सहमत होते हुए व्यपवर्तन की अनुशंसा की जाती है।

दिनांक: 21/06/2021
स्थानः अरण्य भवन, नवा रायपुर

(राकेश चतुर्वेदी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं
वन बल प्रमुख छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़

Form -4 (Vividh) 2021 (1)

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख छत्तीसगढ़
अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर – 492002
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)
दूरभाषः 0771 – 2512840 **ई – मेलः apccf-lm.cg@gov.in**

क्र./भू–प्रबंध/विविध/115–764/ 1323 दिनांक 23/06/2021

प्रति,

प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर, अटल नगर

विषय :– **National Highway Authority of India (NHAI), propose the Up gradation of Champa – Korba-Chhuri – Katghora Section of NH- 149 B in the State of Chhattisgarh. Pakage-I (0+00 tp 38+150) area 4.493 ha. reg.**
रजिस्ट्रेशन क्रमांक – FP/CG/ROAD/ 37444/2018

संदर्भः– मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त का पत्र क्रमांक/ तक/ 1226 दिनांक 27.05.2021

–0–

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के दिशा निर्देशों तथा नवीन चेक लिस्ट अनुसार मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर द्वारा निर्धारित प्रपत्र–3 में अनुशंसा उपरांत वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। नोड़ल अधिकारी FC Act कार्यालय के परीक्षण उपरांत प्रस्ताव का चेकलिस्ट बिन्दु क्रमांकवार विवरण निम्नानुसार हैः–

बि.क्र. 1. आवेदक विभाग का मांग पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 01 से 05) – आवेदनकर्ता, परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक एन.एच–149 B, कोरबा द्वारा कोरबा वन मंडल अंतर्गत 2.820 हे. एवं जांजगीर जांपा वन मंडल अंतर्गत 1.673 हे. वन भूमि चांपा–कोरबा–छुरी–कटघोरा सेक्शन के लिए वन भूमि व्यपवर्तन हेतु 4.493 हे. राजस्व वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत आवेदन निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया है।

बि.क्र. 2. प्रपत्र I में रजिस्ट्रेशन कोड (वर्ष/पंजीयन क्रमांक) (प्रस्ताव पृष्ठ 6 से 9) – वन मंडलाधिकारी कोरबा द्वारा रजिस्ट्रेशन क्रमांक – FP/CG/ROAD/ 37444/2018 आबंटित होने का उल्लेख किया गया है जिसकी पुष्टि इस कार्यालय के पत्र दिनांक 03.09.2019 के आधार पर की जाती है। पंजीयन शुल्क 6000 एवं प्रसंस्करण शुल्क 29000 रूपये जमा कराया गया है।

बि.क्र. 3. वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 10 से 14) – कोरबा वन मंडल अंतर्गत 2.820 हे. एवं जांजगीर जांपा वन मंडल अंतर्गत 1.673 हे. वन भूमि व्यपवर्तन हेतु 4.493 हे. राजस्व वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत आवेदन निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया है।

बि.क्र. 4. गैर वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 19 से 22) – प्रस्तावित क्षेत्र में कोरबा एवं जांजगीर–चांपा वन मंडल अंतर्गत 167.099 हे. गैर वन भूमि प्रभावित हो रही है।

बि.क्र. 5. प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1: 50000 स्केल पर (प्रस्ताव पृष्ठ 23 से 28) – प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मानचित्र संलग्न है।

बि.क्र. 6. वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप (प्रस्ताव पृष्ठ 29 से 40) – वन क्षेत्र का इंडेक्स मैप संलग्न है।

बि.क्र. 7. प्रपत्र – 4 में प्रस्ताव (प्रस्ताव पृष्ठ 41 से 52) – प्रपत्र – 4 में व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित 4.493 हे. राजस्व वन भूमि के लिए परियोजना की प्रशासकीय लागत 66220 लाख़ बतायी गई है। प्रस्तावित क्षेत्र का घनत्व 0.1 से 0.3 तक है।

बि.क्र. 8. प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप (प्रस्ताव पृष्ठ 53 से 64) – कोरबा जिले के कोरबा वन मंडल अंतर्गत 2.820 हे. एवं जांजगीर जांपा जिले के जांजगीर–चांपा वन मंडल अंतर्गत 1.673 हे. राजस्व वन भूमि चांपा–कोरबा–छुरी–कटघोरा सेक्शन के लिए वन भूमि व्यपवर्तन हेतु 4.493 हे. राजस्व वन भूमि के लिए प्रस्ताव का विस्तृत टीप संलग्न है।

बि.क्र. 9. वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि जमा करने का वचन पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 65 से 68) – यूजर एजेंसी का वचन पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 10. न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 69 से 72) – प्रस्तावित वन क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है। यूजर एजेंसी का वचन पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 11. पर्यावरण संरक्षण स्वीकृत प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 73 से 78) – पर्यावरण स्वीकृति हेतु भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 अनुक्रम में अधिसूचना 2006 के संशोधन दिनांक 22.08. 20"3 के अधिसूचना के अंतर्गत आवश्यक नहीं है तदाशय का अधिसूचना प्रति संलग्न है।

बि.क्र. 12. वृक्ष विदोहन विवरण (प्रपत्र – अ एवं ब में) (प्रस्ताव पृष्ठ 79 से 85) – आवेदित क्षेत्र में कोरबा वन मंडलएवं जांजगीर–चांपा वन मंडल अंतर्गत व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र वृक्ष विहीन है। अतएव वृक्षों का विदोहन नहीं किया जाना है।

बि.क्र. 13. कास्ट/बेनिफिट एनालिसिस (प्रस्ताव पृष्ठ 86 से 87) – प्रस्तावित परियोजना 20.00 हे. से कम होने के कारण परियोजना का कास्ट बेनीफिट एनालिसिस की आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 14. – चयनित गैर वन क्षेत्र/निजी भूमि (पंचशाला खसरा की नकल, मानचित्र, सक्षम अधिकारी का हस्तांतरण आदेश) – राजस्व वन क्षेत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 88 से 103 तक) – प्रस्ताव में वैकल्पिक वृक्षारोपण परियोजना हेतु गैर वन भूमि / निजी भूमि प्रस्तावित नहीं है।

बि.क्र. 15. गैर वन क्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शा (प्रस्ताव पृष्ठ 104 से 127) – गैर वन क्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक़्शा संलग्न है।

बि.क्र. 16. स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना (प्रस्ताव पृष्ठ 128 से 156 तक) – आवेदित वन भूमि 4.493 हे. के एवज में दुगुने बिगड़े वन भूमि, मरवाही वन मंडल अंतर्गत पेण्ड्रा परिक्षेत्र, परिसर गोड़गार, कक्ष क्रमांक 2355 में 10.000 हे. में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिये प्रस्तावित है। 10 वर्षीय परियोजना प्रतिवेदन संलग्न है।

बि.क्र. 17. वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 157 से 159) – वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का वन मंडलाधिकारी, मरवाही वन मंडल का उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 18. अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यो का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 160 से 161) – वन मंडलाधिकारी कोरबा एवं जांजगीर–चांपा वन मंडल के अनुसार वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया गया है।

बि.क्र. 19. अधिनियम उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 162 से 163) – बिन्दु क्रमांक 18 के आलोक में निरंक है।

बि.क्र. 20. अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध प्रस्तावित कार्यवाही (प्रस्ताव पृष्ठ 164 से 165) – बिन्दु क्रमांक 18 के आलोक में निरंक है।

बि.क्र. 21. वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 166 से 171) – वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु दुगुने वन भूमि प्रस्तावित होने के कारण गैर वन भूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। वन मंडलाधिकारी जांजगीर–चांपा वन मंडल का प्रतिवेदन संलग्न है।

बि.क्र. 22. कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 172 से 173) – प्रस्ताव राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण से संबंधित होने के कारण लागू नहीं होगा। प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 23. रिक्लेमेशन प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 174 से 175) – प्रस्ताव खनन से संबंधित न होने के कारण रिक्लेमेशन प्लान की आवश्यकता नहीं है। प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 24. माईनिंग प्लान IBM नागपुर द्वारा अनुमोदित (केवल खनन प्रकरण में) (प्रस्ताव पृष्ठ 176 से 177) – प्रस्ताव खनन से संबंधित न होने के कारण माईनिंग प्लान की आवश्यकता नहीं है। प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 25. व्यवस्थापन प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 178 से 185) – प्रस्ताव किसी को उक्त क्षेत्र में से हटाया नहीं गया है। अतः व्यवस्थापन प्लान की आवश्यकता नहीं है। प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 26. वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र I से IV तक) (प्रस्ताव पृष्ठ 186 से 197) – भाग–2 पर वन मंडलाधिकारी, कोरबा वन मंडल द्वारा दिनांक 19.11.2020 को एवं वन मंडलाधिकारी, जांजगीर–चांपा वन मंडल द्वारा दिनांक 10.02.2020 को प्रस्ताव की स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। वन मंडलाधिकारी कोरबा एवं जांजगीर –चांपा वन मंडल के अनुशंसा से मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त द्वारा दिनांक 15.01.2021 से प्रस्ताव पर अनुशंसा की गई है।

बि.क्र. 27. ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 198 से 200) – व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व का स्थल नहीं है जिससे संबंधित वन मंडलाधिकारी कोरबा एवं जांजगीर–चांपा वन मंडल एवं यूजर एजेंसी का संयुक्त प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 28. संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 201 से 204) – प्रस्तावित परियोजना लीनियर प्रकरण होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के गाईड लाईन दिनांक 28.10.2014 अनुसार लीनियर प्रकरण के लिए ग्राम सभा में छूट प्रदान की गई है।

बि.क्र. 29. जिले की कुल वन भूमि (रकबा हे. में) (प्रस्ताव पृष्ठ 205 से 206) – कोरबा जिले की कुल वन भूमि 2136.48 वर्ग कि.मी. है एवं जांजगीर–चांपा जिले का कुल वन भूमि 250.66 वर्ग कि.मी. है।

बि.क्र. 30. व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों मे प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे. में (प्रस्ताव पृष्ठ 207 से 208) – कोरबा वन मंडल 1089.268 हे. एवं जांजगीर–चांपा वन मंडल में 232.894 हे. वन भूमि प्रभावित हुई है। वन भूमि का विवरण संलग्न है।

बि.क्र. 31. व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों मे इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा हे. में (प्रस्ताव पृष्ठ 209 से 210) – कोरबा वन मंडल 211.466 हे. एवं जांजगीर–चांपा वन मंडल में 232.894 हे. वन भूमि प्रभावित हुई है। वन भूमि का विवरण संलग्न है।

बि.क्र. 32. प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह / मूर्ति न होने की जानकारी (प्रस्ताव पृष्ठ 211 से 212) – प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. के परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्य प्राणी अभ्यारण्य स्थित नहीं है अथवा प्रस्तावित भी नहीं है। वन मंडलाधिकारी कोरबा तथा जांजगीर–चांपा वन मंडल का एवं यूजर एजेंसी का संयुक्त प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 33. 15 कि.मी. परिधि के नक्शे में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों का चिन्हांकन (प्रस्ताव पृष्ठ 2013 से 214) – खनन प्रकरण नहीं है। अतः आवश्यकता नहीं है। प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 34. वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 215 से 221) – वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र द्वितीय चरण स्वीकृति के पूर्व जमा किया जावेगा। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 35. राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 222 से 229) – प्रस्ताव में जिला बिलासपुर में प्रभावित राजस्व वन भूमि रकबा 2.820 हे. का कलेक्टर कोरबा का दिनांक 11.12.2019 द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है। कलेक्टर जांजगीर–चांपा का राजस्व वन भूमि संबंधी दिनांक 02.01.2020 से जारी प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 36. माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 230 से 233) – यूजर एजेंसी द्वारा दिया गया वचन पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 37. Clearance under FC Act, 1980: Deposition of funds with the Ad-hoc CAMPA: Remittances to precede 2nd stage clearance (प्रस्ताव पृष्ठ 234 से 237) – यूजर एजेंसी द्वारा दिया गया वचन पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 38. A detailed note on Soil Productivity or the lack of it (प्रस्ताव पृष्ठ 238 से 240) – प्रस्तावित स्थल कृषि भूमि योग्य है जो चांवल के पैदावर के लिए बहुत अच्छा है। मृदा वृक्षों / वनस्पत्तियों के लिए सामान्य है। आवेदक संस्थान का प्रतिवेदन संलग्न है।

बि.क्र. 39. परियोजना की किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 241 से 242) – वन भूमि में किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया गया है ऐसा प्रमाण पत्र यूजर एजेंसी एवं वन मंडलाधिकारी कोरबा एवं जांजगीर–चांपा वन मंडल के द्वारा दिया गया है।

बि.क्र. 40. Diversion of large area (more then 500 ha.) of forest land for mining and other non-forestry purposes under the Forest (Conservation) Act 1980 (प्रस्ताव पृष्ठ 243 से 244) – केवल 500 हे. से अधिक के प्रकरण में लागू है। अतः आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 41. पंजीयन क्रमांक – पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 245 से 252) – बिन्दु क्रमांक –2 पर विस्तृत विवरण दिया गया है।

बि.क्र. 42. वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत (प्रस्ताव पृष्ठ 253 से 254) – हाईवे परियोजना होने के कारण लागू नहीं होगा। तदाशय का वन मंडलाधिकारियों का एवं आवेदक संस्थान का संयुक्त प्रतिवेदन संलग्न है।

बि.क्र. 43. विद्युत लाईन से संबंधित प्रकरणों में एक स्थल से दूसरे स्थल तक टावर ले जाने का मानचित्र तथा तीन विकल्प में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 255 से 256) – प्रकरण विद्युत पारेषण लाईन से संबंधित नहीं होने के कारण लागू नहीं होगा। तदाशय का वन मंडलाधिकारियों का वचन पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 44. प्रस्ताव मे अन्य (Misc) कमियों का विवरण विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 257 से 318) – तीन वैकल्पिक रूट एवं उसके औचित्य को दर्शाते हुए मानचित्र संलग्न है।

प्रकरण भारत शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है तथा समस्त प्रचलित संबद्ध नियमो/दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के वेब साईट में www.parivesh.nic.in पर अपलोड किया गया है।

उपरोक्त विवरण के आधार पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर द्वारा स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर के उक्त अनुशंसा के आधार पर प्रस्ताव से सहमत होते हुए, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़ के अनुशंसा निर्धारित प्रपत्र भाग–4 सहित वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रथम चरण की स्वीकृति के लिये प्रस्ताव 2 प्रतियों में संलग्न प्रेषित है।

संलग्नः– 1. प्रस्ताव 2 प्रतियों में

2. डी.जी.पी.एस. सर्वे रिर्पोट 2 प्रतियों में

3. टाईम लाईन

4. प्र.मु.व. संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित भाग–4

(वन बल प्रमुख द्वारा अनुमोदित)

अ.प्र.मु.व.स (भू–प्रबंध / व.स.अ)
छत्तीसगढ़

क्र./भू–प्रबंध/विविध/115–764/ 1324 रायपुर, दिनांक23/06/2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1. **मुख्य वन संरक्षक,** बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
2. **वन मंडलाधिकारी,** कोरबा / जांजगीर–चांपा वन मंडल, छत्तीसगढ़।
3. **परियोजना निदेशक,** भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक एन.एच–149 B, कोरबा, छत्तीसगढ़।

अ.प्र.मु.व.स (भू – प्रबंध / व.सं.अ)
छत्तीसगढ़